


पञ्जावली मजदूरी हुई। शर्कीगण व विजार्दीगण
सं. 1, 3, 12, 13, 14, 16, 19 के वकील उपस्थित, जकार
अज्ञात, जकार का अक्षर बन्द किया जाता है
शेष विजार्दीगण मजदूरस्थित। शेष विजार्दीगण
सं. 2, 4, 5, 11, 15, 20 को कोई समय में
तीन बार तीन-तीन भावों में दिलाई गई। वापस
भावों में दिलाई के मजदूरस्थित रहने के विजार्दीगण
सं. 2, 4, 5, 11, 15, 20 के खिलाफ एक तरफ
कार्यवाही की जाती है। दोनों पक्षों के खिलाफ
वकीलों के पक्ष सुनी। नोट के पर विचार की
स्थिति को मध्यमतर रखने हुए एक नामांकन
डारा जारी कौन्सिल विधाना मूल वाद के
विस्तारण तक पुवट (Continued) किया जाता है
पञ्जावली निर्णय सुनार होकर मूल वाद के साथ
नहीं है।


बहायत कलेक्टर, गुजरात

